न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी – डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, IAS

प्रकरण संख्या – 02/2023 (निगरानी)
जीसीएमएस नं0 2023/158

1. अब्दुल अनीस पुत्र अब्दुल हनीफ
2. श्रीमती रूबिना पत्नी अब्दुल अनीस

मुसलमान निवासीगण संजय नगर, उडिया बस्ती विज्ञान नगर कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–निगराकार

बनाम

1. नगर विकास न्यास, कोटा जर्ये प्राधिकृत अधिकारी एवं उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा राज0

– गैर निगराकार

निगरानी राज0 नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 312 व 327 के नगर विकास न्यास कोटा प्राधिकृत अधिकारी एवं उप सचिव द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 16.7.2022 को विधिवत जारी एवं विधिवत पंजीकृतशुदा उडिया बस्ती संजय नगर कच्ची बस्ती, कोटा में स्थित भूखण्ड 94.88 वर्गगज का पट्टा क्रमांक 70 के बाबत दिनांक 7.11.2022 को पारित निरस्तीकरण आदेश के विरूद्व

उपस्थित :–
1. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक निगराकार
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक गेर निगराकार

निर्णय

दिनांक 13 .02.2024

1. निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगराकार नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 एवं कच्ची बस्ती नियमन नीति 2005 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के पक्ष में 94.88 वर्गगज भूमि पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होने से राजीव आवासीय योजना के अन्तर्गत नियमन राशि 4176/– जमा करवायी जाने पर दिनांक 16.7.2022 को विधिवत पट्टा कमांक/70 श्री अब्दुल अनीस पुत्र अब्दुल हनीफ एवं श्रीमति रूबीना पत्नि अब्दुल अनीस के पक्ष में

जिला कलक्टर
कोटा

जारी किया गया था प्रार्थी द्वारा तथ्य छुपाकर मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत करना मानते हुए उक्त पट्टे को दिनांक 7.11.2022 को निरस्त कर दिया गया ।

2. प्राधिकृत अधिकारी एवं उप सचिव नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जारी किये गये पट्टा निरस्तीकरण आदेश दिनांक 7.11.2022 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 23.2.2023 को प्रस्तुत की गई है कि अप्रार्थी नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 एवं कच्ची बस्ती नियमन नीति 2005 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के पक्ष में पूर्णतः विधिक प्रक्रिया अनुसार 94.88 वर्गगज भूमि पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होने से राजीव आवासीय योजना के अन्तर्गत नियमन राशि 4176/— जमा करवायी जाने पर दिनांक 16.7.2022 को विधिवत पट्टा कमांक 70 जारी किया जाकर उक्त पट्टे का दिनांक 18.7.2022 को उप पंजीयक कोटा द्वितीय में पंजीयन भी कराया हुआ होने के बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा दिनांक 7.11.2022 को उक्त पट्टा पूर्ण आर्बीट्रेरी रूप से निरस्त कर दिया गया है विधि द्वारा पारित व्यवस्था के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है ।

3. निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगराकार को जरिये सम्मन तलब किया गया । गैर निगराकार की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय का वकालतनामा पेश हुआ । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील निगराकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे में कथित भूखण्ड का मुस्लिम विधि मुताबिक मोहम्मद हनीफ उर्फ अब्दुल हनीफ बनाम नगर विकास न्यास कोटा के प्रश्नगत भूखण्ड के विवाद एवं थाना जवाहर नगर कोटा में दायरशुदा प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित भूखण्ड से किसी प्रकार का संबंध न होते हुए भी प्रार्थीगण के पक्ष में विधिवत राजीव आवासीय योजना के अन्तर्गत नियमनसुदा 94.88 वर्गगज भूमि के संबंध में जारीसुदा पट्टे को दिनांक 18.7.2022 को अप्रार्थी के आदेश मुताबिक विधिवत पंजीकृत करा दिये जाने के बाद किन्ही अज्ञात व्यक्तियों की रंजिशपूर्ण एवं पूर्णतः असत्य तथ्यों पर आधारित शिकायत के आधार पर ही प्रार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर न देकर पूर्णतः अवैध रूप से दिनांक 7.11.2022 को उक्त रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त करने की आज्ञा पारित कर दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में प्रकाशित करवा दी है जो पूर्णतः विधिक के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत तथा अप्रार्थी नगर विकास न्यास कोटा के क्षैत्राधिकार के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । कानूनन किसी भी संस्था को विधिवत जारी किये हुए पट्टे

जिला कलक्टर
कोटा

संबंधी आदेश को विधिवत पट्टे का पंजीकृत कराये जाने के बाद स्वयं ही निरस्त करने का कोई क्षैत्राधिकार नहीं है तथा पंजीकृत पट्टे को एक मात्र सिविल न्यायालय द्वारा ही विधिवत वाद पत्र प्रस्तुत कर निरस्त कराया जा सकता है तथा अप्रार्थी द्वारा पूर्णतः विधिक प्रकिया का उल्लंघन करते हुए प्रार्थीगण के पक्ष में पंजीकृत पट्टे को निरस्त किया जाना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गोपाल पट्टेल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान सिविल याचिका में 2021 (1)DNJ (राज0) पृष्ठ संख्या 186 पर पारित निर्णय मुताबिक पूर्णतः अवैध है । अप्रार्थी द्वारा जारी उक्त पट्टा निरस्तीकरण आदेश की प्रथम जानकारी राजस्थान पत्रिका में प्रकाशन होने पर दिनांक 17.11.2022 को हुई जिस पर कार्यालय से प्रमाणित नकल प्राप्ति हेतु आवेदन किया किन्तु नकले नहीं मिलने पर जिला कलक्टर कोटा के कार्यालय में शिकायती पत्र प्रस्तुत करने पर जिला कलक्टर कोटा के निर्देशन से दिनांक 10.2.2023 को उक्त आदेश की प्रमाणित नकल प्राप्त होने पर यह निगरानी प्रस्तुत की है । उक्त निगरानी को अवधि मध्य स्वीकार कर मेरिट्स पर निर्णित करने हेतु दिनांक 7.11.2022 से 10.2.2023 की अवधि को कन्डोन किये जाकर निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अप्रार्थी नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.11.2022 को निरस्त कर प्रार्थीगण के पक्ष में विधिवत पंजीकृत एवं विधिवत जारीसुदा पट्टा कमांक 70 दिनांक 16.7.2022 को पूर्णतः वैध घोषित किये जाने की आज्ञा फरमाई जावें ।

5. वकील गैर निगराकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि नगर विकास न्यास के पट्टे की अपील जिस धारा 312 व 326 नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत प्रस्तुत की गई है उसको सुनने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है वैसे भी श्रीमान पीठासीन अधिकारी नगर विकास न्यास कोटा के चेयरमेन होने से भी यह अपील श्रवणाधिकार की नहीं होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावें ।

6. हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील नगर विकास न्यास द्वारा जारी पट्टा कमांक 70 को सचिव नगर विकास न्यास कोटा द्वारा त्रुटिपूर्ण मानते हुए आदेश दिनांक 7.11.2022 से निरस्त कर दिया है । चूंकि मैं पीठीसन अधिकारी नगर विकास न्यास कोटा का चेयरमेन भी हूँ । ऐसी स्थिति में नगर विकास न्यास कोटा द्वारा निरस्त पट्टे की अपील का श्रवणाधिकार मुझ पीठासीन अधिकारी का नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य पाते है ।

जिला कलक्टर
कोटा

7. परिणामतः निगरानी निगराकार श्रवणाधिकार की नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जारी पट्टा निरस्तीकरण आदेश दिनांक 7.11.2022 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

8. निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा